राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकःप.8(ग)(16)नियम/डीएलबी/18/4469 जयपुर, दिनांकः 7/02/18

अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 102 के तहत राज्य की नगर निगमो/नगरपरिषदो/नगरपालिकओं के क्षेत्र में नगरीय विकास कर की वसूली दिनांक 29.08.07 से की जा रही है। तत्पश्चात् विभागीय अधिसूचना क्रमांक प.8(ग)(3)नियम/डीएलबी/10/9356 दिनांक 24.08.16 द्वारा नगर निगमो/नगर परिषदो/ नगरपालिकाओं के क्षेत्रो में स्थित भूमि (कृषि भूमि के अतिरिक्त) या निर्मित क्षेत्र/तल क्षेत्रो पर उदगृहित किये जाने वाले कर की दरे निर्धारित की गई। नगरीय विकास कर की राशि वार्षिक आधार एवं इकाई आधार पर वसूल किया जाना प्रावधित है।

उपरोक्त अधिसूचनाओं द्वारा निर्धारित नगरीय विकास कर की राशि अत्यन्त अल्प है, इस वजह से करदाता राशि जमा कराने में कोई रूचि नहीं लेते है। इसके अतिरिक्त नगरीय निकायो द्वारा अल्पराशि वसूल करने में अत्यधिक श्रम करने के पश्चात् भी पर्याप्त राजस्व की प्राप्ति नहीं होती है। नगरीय निकायो द्वारा शहरी जमाबन्दी (लीजमनी) प्रतिवर्ष लिये जाने का प्रावधान है। लीजमनी की राशि वसूलने के संबंध में व्यावसायिक दृष्टिकोण अपनाते हुए यह प्रावधान किया हुआ है कि कोई आवंटी/क्रेता 8 वर्षीय शहरी जमाबन्दी एकमुश्त जमा कराता है तो उसे भविष्य के लिए शहरी जमाबन्दी के दायित्व से मुक्त कर दिया जाता है।

अतः जनहित में स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 29.08.07 एवं दिनांक 24.08.16 की निरन्तरता में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 102 की उपधारा (1) के खण्ड (क) सपठित धारा 337 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारो का उपयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी किये जाते है कि सभी प्रकार की कर योग्य सम्पत्तियां आवासीय, संस्थागत, व्यावसायिक, औद्योगिक एवं अन्य सभी सम्पत्तियों पर यदि करदाता वह ऐसी वान्छा करे, एकबारीय नगरीय विकास कर निक्षिप्त करा सकेगा जो उस वर्ष, जिसमें संदाय किया जाता है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय विकास कर निर्धारण के आठ गुणा के बराबर होगा। ऐसा संदाय सम्पत्ति पर नगरीय विकास कर के संदाय के अतिरिक्त दायित्व से करदाता को छूट प्रदान करेगा। परन्तु एकमुश्त राशि जमा कराने की तिथि के बाद सम्पत्ति के उपयोग में परिवर्तन होने अथवा मौजूदा निर्माण में परिवर्धन होने पर तदनुसार कर का पुननिर्धारण करते हुए करदाता के विकल्प पर प्रतिवर्ष या एकमुश्त राशि जमा करायी जावेगी।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकःप.8(ग)(16)नियम/डीएलबी/18/4470-4930 दिनांकः 7/02/18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर
02. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय,स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

04. संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान
05. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राज0
06. आयुक्त/उपायुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राज0।
07. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
08. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राजस्थान जयपुर
09. समस्त अधिकारी निदेशालय एवं उप निदेशक (क्षेत्रीय), समस्त राजस्थान
10. जन सम्पर्क अधिकारी निदेशालय को अधिसूचना के प्रचार हेतु
11. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध करवाने हेतु।
12. अधीक्षक, केन्दीय लेखन एवं मुद्रणालय,राज0जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
13. सुरक्षित पत्रावली

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी